



कार्यालय, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पेंशन) द्रौपदीघाट, इलाहाबाद-211014

परिपत्र संख्या 616

दिनांक 31.01.2019

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी

अभिलेख/वेतन लेखा कार्यालय(अ.श्रे.)

.....

विषय: अंशदायी स्वास्थ्य योजना के सदस्यों हेतु स्तरोन्नत अंशदायी स्वास्थ्य योजना **पॉलीक्लीनिक**/सशत्र सेना अस्पताल/एमआई कक्ष से अनाच्छादित जिलों में निवास करने वाले पूर्व सेवा पेंशनरों एवं पूर्व परिवार पेंशनरों को नियत चिकित्सा भत्ता की संस्वीकृति।

संदर्भ: इस कार्यालय का दिनांक 21.02.2011 का परिपत्र सं. 451, दिनांक 04.06.2015 का परिपत्र संख्या 544 एवं दिनांक 25.09.2017 का परिपत्र संख्या 586।

उपर्युक्त विषय पर रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के दिनांक 01.11.2018 का पत्रांक 22 (01)/2011/डब्ल्यू ई/डी(आरईएस.1) जो स्वतः स्पष्ट है, सूचना एवं आवश्यक **कार्यवाही** हेतु अग्रसारित किया जाता है।

2. उपरोक्त पत्रानुसार अंशदायी स्वास्थ्य योजना के सदस्यों हेतु स्तरोन्नत अंशदायी स्वास्थ्य योजना **पॉलीक्लीनिक** /सशत्र सेना अस्पताल/एमआई कक्ष से अनाच्छादित जिलों में निवास करने वाले पूर्व सेवा पेंशनरों एवं पूर्व परिवार पेंशनरों को भी नियत चिकित्सा भत्ता अनुमन्य है।

2. सरकार के इस आदेश के तहत आने वाले सभी पेंशनरों से अपेक्षा है की जाती है कि वे तीन प्रतियों में निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक प्रार्थनापत्र अपने निकटतम स्टेशन मुख्यालय में प्रस्तुत करें। स्टेशन मुख्यालय अंशदायी स्वास्थ्य योजना के सदस्यों के आवासीय पतों का सत्यापन कर नियत चिकित्सा भत्ता की स्वीकार्यता सत्यापित करेगा एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रदत्त प्रार्थना पत्र पर उक्त भत्ते की पुष्टि सुनिश्चित करेगा।

3. अनुदेशों सहित अंतिम वेतन प्रमाणपत्र सह डाटा शीट के प्रस्तुतीकरण हेतु अलग से पत्राचार किया जाएगा।

4. इस परिपत्र को कार्यालय की वेबसाइट www.pcdapension.nic.in पर प्रसारण हेतु अपलोड कर दिया गया है

(एस.के.सिंह)

अपर नियंत्रक (पेंशन)

सं. स्वी./तक./05 /LXXXI

दिनांक 31.01.2019

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव कार्मिक एवं लोक शिकायत व पेंशन (पेंशन व पेंशनर कल्याण विभाग) मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।
2. निदेशक (पेंशन), रक्षा मंत्रालय भारत सरकार (पेंशन/ सेवाएं), सेना भवन, विंग- ए नई दिल्ली
3. सेना मुख्यालय, एडजुटेंट शाखा, पीएस-4 (ब) डी एच क्यू, पों. नई दिल्ली-11
4. सशत्रु सेना मुख्यालय जीएस शाखा, पेंशन भुगतान व ए, डी एच क्यू, पों. नई दिल्ली-11
5. नौसेना मुख्यालय पेंशन भुगतान व ए, डीएचक्यू पोस्ट नई दिल्ली।
6. डीपीए वायु भवन, नई दिल्ली -11।
7. वायु सेना मुख्यालय, पता पीपी व पी-3, पश्चिमी खण्ड-6 आर के पुरम् , नई दिल्ली 66
8. वरिष्ठ रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (लेखा परीक्षा-2), कार्यालय र.ले.म.नि., उलन बटार रोड, पालम दिल्ली छावनी-10।
9. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (नौसेना) नं. 1 कुपरेज रोड मुम्बई -400039।
10. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (प.क.) चंडी मंदिर, चंडीगढ़ ।
11. रक्षा लेखा नियंत्रक (वा.से.) पश्चिमी खण्ड -5 आर.के.पुरम् नई दिल्ली -66
12. रक्षा लेखा नियंत्रक टेईनामपेट, चेन्नई ।
13. रक्षा लेखा नियंत्रक (पें. संवि.) आयुध पथ मेरठ छावनी।
14. रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक (वा.से.) सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली-10।
15. निदेशक लेखा परीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली।
16. समस्त अभिलेख कार्यालय/समस्त रेजीमेंट, कॉर्प्स।
17. नौसेना पेंशन कार्यालय, द्वारा आई.एन.एस. तानाजी, सायन ट्राम्बे रोड, मानखुर्द, मुम्बई-88
18. वायु सेना अभिलेख कार्यालय, धौला कुआं, दिल्ली छावनी।
19. निदेशक एम.पी.8 (आई ऑफ आर) समेकित मुख्यालय , रक्षा मंत्रालय (सेना) एडजुटेंट ब्रांच, एम.पी./एम.पी.8(आई ऑफ आर) अपर महानिदेशक , पश्चिमी खण्ड -3 आर.के.पुरम्, नई दिल्ली-66
20. मुख्य कार्यालय के सभी अपर नियंत्रक/संयुक्त नियंत्रक।
21. मुख्य कार्यालय के सभी वर्गाधिकारी।
22. प्रभारी अधिकारी जी-1 सैन्य (तक.), लेखा परीक्षा- अन्य श्रेणी (तक.) व जी-1 सिविल(तक.) ।
23. स्वीकृति/अन्य श्रेणी परिसर के समस्त वरि.लेखाधिकारी /लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी
24. प्रभारी अधिकारी ई.डी.पी. मै.
25. प्रभारी अधिकारी ई.डी.पी. सेन्टर
26. प्रभारी अधिकारी पी.एच.पी सेल, ई.डी.पी. सेन्टर
27. मुख्य कार्यालय के समस्त अनुभाग।
28. प्रभारी अधिकारी जी-2 अनुभाग, जी-3 अनुभाग एवं जी-4 अनुभाग
29. प्रभारी अधिकारी कॉल सेन्टर।
30. प्रभारी अधिकारी सं.एवं प. अनुभाग
31. प्रभारी अधिकारी शिकायत कक्ष।
32. प्रभारी अधिकारी संगणक केन्द्र को इस परिपत्र को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
33. रक्षा पेंशन लाइज्जन कक्ष।
34. प्रभारी अधिकारी स्वागती कक्ष स्थानीय।
35. निदेशक रक्षा पेंशन प्रशिक्षण संस्थान इलाहाबाद।
36. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (अफसर), गोलीबार मैदान, पूणे, महाराष्ट्र
37. अतिरिक्त प्रतियां ।

(ए.के.मालवीय)
वरि.लेखाधिकारी (पेंशन)